न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

अब्दुल मजीद बनाम राज0 सरकार

प्रकरण सं0 – 2021/961 (Cnems)

अन्तर्गत धारा– 88 आरटीए

12.11.2021 वादी अब्दुल मजीद पुत्र गुलाम कादर जाति मुसलमान साकिन 1 आरकेएम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अपने नाम जमाबन्दी में दर्ज चक 1 आरकेएम–ए के मु0 नं0 211/45 के किला नं0 1 ता 25 की 25–00 बीघा अ0क0 भूमि की खातेदारी सनद का अमल–दरामद करने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प0 ह0 की रिपोर्ट अनुसार चक 1 आरकेएम–ए के मु0 नं0 211/45 के किला नं0 1 ता 25 की 6.200 है0 अ0क0 रकबा मुताबिक जमाबन्दी वरा पत्नी गुलाम कादर 1/4 हि0, अब्दुल मजीद पि0 गुलाम कादर 1/4 हि0, मोहम्मद रफीक पि0 गुलाम कादर 1/4 हि0, मोहम्मद सफीक पि0 गुलाम कादर 1/4 हि0 जाति मुसलमान साकिन 1 आरकेएम–ए गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर आवंटी स्वंय काबिज है मौके पर उक्त भूमि उक्त गैर खातेदारान के कब्जा काश्त में है। पटवारी रिकॉर्ड अनुसार उक्त भूमि पर विवाद/स्थगन नहीं है। खातेदारी सनद सं0 047666 दिनांक 11.06.93 की प्रमाणित चित्रप्रति के अनुसार चक 1 आरकेएम–ए के मु0 नं0 211/45 के किला नं0 1 ता 25 की 24–10 बीघा अ0क0 की खातेदारी सनद गुलाम कादर पि0 कदु खां जाति मुसलमान साकिन मीरगढ़ तहसील अनूपगढ़ के नाम जारी है। आवंटन दिनांक 25.11.1975 राशि 4646 रूप्ये व आवंटन दिनांक 16.04.84 व राशि 3608 रूपये अंकित है। अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन अनूपगढ़ शाखा खण्ड द्वितीय घड़साना की सीएडी रिपोर्ट क्रमांक 753 दिनांक 16.07.2021 के अनुसार चक 1 आरकेएम–ए की सीएडी स्कीम दिनांक 31.08.76 से स्वीकृत है। स्वीकृत सीएडी स्कीम के अनुसार मु0 नं0 211/45 के किला नं0 1 ता 25 की 25–00 बीघा अ0क0 है रिसर्वे क्रमांक 2880–82 दिनांक 05.08.1987 के अनुसार किला नं0 1 ता 4, 8 ता 10, 12 ता 14 की 10–00 बीघा कमाण्ड हुआ व शेष अ0क0 है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सनद सं0 047666 दिनांक 11.06.93 का इन्तकाल करवाने का निवेदन किया है किन्तु संलग्न सीएडी रिपोर्ट अनुसार मु0 नं0 211/45 में 10–00 बीघा कमाण्ड है व सनद अनकमाण्ड रकबे की जारी हुई है। सीएडी रिपोर्ट अनुसार खातेदारी सनद का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करना उचित है। वादीगण अपनी कृषि भूमि की खातेदारी सनद का अमल दरामद करवाना चाहते है।

वादी के वाद पत्र एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी द्वारा अपनी आवंटित कृषि भूमि की खातेदारी सनद का अमल दरामद करवाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि वादीगण के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण की भूमि सीएडी सर्वे में अ0क0 से कमाण्ड हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार उक्त भूमि वादी के कब्जा काश्त में है उक्त भूमि पर कोई स्थगन/विवाद नहीं है। अतः वादीगण के नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि की सीएडी सर्वे अनुसार नियमानुसार अन्तर राशि जमा करवाकर उक्त रकबा की जारी सनद का अमलदरामद किया जाकर वादीगण को उक्त रकबा का खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार घड़साना को पालना हेतु पृथक से लिखा जावे। पत्रावली बाद तरतीब होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना